...ाईल नं...ालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

अधि... 2/277/2023

तारीख रजू...........................

हरीश **बनाम** मुरारी वगैरा

...ीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.10.2023	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकिल प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया।प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकिल सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने का निवेदन किया वकिल सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है। अतः उभयपक्षकारान् को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तरीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 302, 305, 306, 326, वाके ग्राम रेला तहसील कठूमर में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।चुकिं एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे मे अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर वहस के लिये कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत वहस करनी होगी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 23.11.2023 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये ... रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 23.11.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। Signature Not Verified Digitally signed by Sukha Ram Rindel Date: 2024.06.05 17:39:38 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/5/24	वकीलान उपस्थित। बहस। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र [illegible] साबित होने के कारण स्वीकार कर पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 30/10/23 को मूल वाद के निस्तारण तक स्थापित किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर स्टे मि० किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज नम्बर से कम हो। (कुमार) SDO उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:39:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः–2 / 277 / 2023 दायर दिनांकः–30 / 10 / 2023
जीसीएमएस नं0–2023 / 539 निर्णय दिनांकः–21 / 05 / 2024

वउनवान

1. हरीश पुत्र सुगरसिंह जाति जाट निवासी रेला तहसील कठूमर जिला अलवर ।

——— प्रार्थी

बनाम

1. मुरारी पुत्र गणपत जाति जाट निवासी रेला तहसील कठूमर
2. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर।

————अप्रार्थीगण

प्रार्थन–पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–श्री सुभाषचन्द शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थी

श्री राधाबल्लभ शर्मा एडवोकेट– अप्रार्थी संख्या 1

–:आदेशः–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 302 रकबा 0.54 हेक्ट, 305 रकबा 0.82 हेक्ट, 306 रकबा 0.76 हेक्ट, 326 रकबा 0.46 हेक्ट, ग्राम रेला तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी, अप्रार्थी एंव अन्य साझीदारान की शामलात कब्जे काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:39:38 IST
Reason: SelfAttested

21.5.24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। उक्त आराजी अवट है। अप्रार्थी विवादित आराजी में काश्त करने में कतई रूचि नहीं रखता है तथा समय समय पर खाद, बीज, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं करता है तथा प्रार्थी एंव अप्रार्थी के आपस में सम्बन्ध खराब हो गये है मनमुटाव हो गया है जिस कारण अब प्रार्थी एंव अप्रार्थी के मध्य विवादित आराजी पर शामलात में काश्त करना संभव नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा बाबत कहा तो अप्रार्थी ने साफ इन्कार कर दिया। विवादित आराजी राजस्व रेंकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है अप्रार्थी ने प्रार्थी को धमकी दी है कि हम विवादित आराजी को राजी खुशी नहीं बांटेगें और विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये बिना ही उक्त आराजी में निर्माण करेगें बोरिंग लगाकर रहेगें जबकि अप्रार्थी को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि अप्राथी अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गया तो प्रार्थी तबाह एंव बर्बाद हो जावेगा दीगर मुकदमा बाजी बढेगी जिससे प्रार्थी को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को ताफैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 मुरारी ने हाजिर अदालत होकर अपना जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी का प्रार्थी एंव अप्रार्थी द्वारा मौके पर घरेलु रूप से करीब 50 साल पहले का तकासमा किया हुआ है। मुताबिक घरेलु तकासमा अप्रार्थी मुरारी व प्रतिवादी संख्या 6, 8, 12, 13 को उनके 1/2 हिस्सा की आराजी खसरा नम्बर 302 का 1/2 हिस्सा तरफ उत्तर खसरा नं. 305, 306, 326 का 1/2 हिस्सा तरफ पश्चिम तन्हा हक हिस्सा व कब्जे काश्त में आई हुई है जिस पर अप्रार्थी व प्रतिवादी सं0 6, 8, 12, 13 का 1/2 हिस्सा तरफ पश्चिम तन्हा हक हिस्सा व कब्जे काश्त में आई हुई है जिस पर वो काबिज रहकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 14:39:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

अनन्य रूप से मौके पर कब्जे काश्त में है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 ला0 5 व 7, 9, 10, 11, 14 के तन्हा हक हिस्सा व कब्जे काश्त में है इस प्रकार विवादित आराजी शामलात काश्त में ना होकर करीब 50 साल से घरेलु रूप से तकसीम की हुई कब्जे काश्त की आराजी है। अप्रार्थी मुरारी ने खसरा नम्बर 302 के उत्तरी हिस्सा में बास्ते सिंचाई बोरिंग कराया हुआ है जिसमें विद्युत कनेक्शन होना है जिसका डिमाण्ड नोटिस 31254 रूपया का बिजली विभाग कठूमर में जमा करा दिया है अब विद्युत विभाग से अप्रार्थी को विद्युत कनेक्शन जारी होना है इसका जॉब कार्ड भी कम्पलीट है जिस सिंचाई वास्ते कनेक्शन को रूकवाने के लिये प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थी को किसी तरह का नुकसान व क्षति नहीं होती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 वाके ग्राम रेला की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी। अधिवक्ता सायल ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थी, अप्रार्थी व अन्य साझीदारान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। अवट आराजी है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। अप्रार्थी विशेष ख़सरे पर बोरिंग लगवाना चाहता है। बिना बंटवारा बोरिंग लगवाना गलत है। अब उक्त आराजी पर शामलात में काश्त करना संभव नहीं है। विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी का बंटवारा कर दिया जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को ताफैसला दावा स्थगन आदेश से पाबन्द करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram
Pindel
Date: 2024.06.05 17:39:38 IST
Reason: Self Attested

21.5.24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी का प्रार्थी एंव अप्रार्थी के मध्य 50 साल पूर्व पारिवारिक बंटवारा हो चुका है। स्थगन आदेश की वजह से अप्रार्थी का विद्युत कनेक्शन रूका हुआ है। सायल ने सम्पूर्ण 11 खसरा नम्वरान पर बंटवारे का दावा नहीं किया है प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड से पेश नहीं किया है। खसरा नम्बर 166 में स्वंय प्रार्थी ने विद्युत कनेक्शन ले रखा है। प्रार्थी ने बिना बंटवारे के विद्युत कनेक्शन कैसे ले लिया। अप्रार्थी के विद्युत कनेक्शन रूक जाने से प्रार्थी को काफी नुकसान व असुविधा हो रही है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित ना होकर अप्रार्थी के पक्ष में साबित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व जबाव प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया।उक्त आराजी के सहखातेदार गोविन्दसिंह, जसबन्तसिंह, हरीमोहन, पदमसिंह, राजवती व कमलेश जाति जाट निवासी रेला ने शपथ पत्र पेश किये है। जिन्होंने विवादित आराजी पर शामलात में काश्त करना, उक्त आराजी का बंटवारा नहीं होना व अप्रार्थी द्वारा मनमर्जी से बोरिंग आदि लगाना कथन किया है व बोरिंग लगाने पर सहखातेदारान ने आपत्ति होना जाहिर किया है।अप्रार्थी विवादित आराजी का सह खातेदार काश्तकार है।विवादित आराजी मौके पर अवट ना होकर बंटी हो इस तरह का कोई प्रमाणित दस्तावेज अप्रार्थी ने पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को साबित करने के लिए जमाबन्दी हाल पेश की हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से विवादित आराजी प्रार्थी एंव अप्रार्थी एंव अन्य साझीदारान की शामलात खातेदारी में दर्ज होने से विवादित आराजी का शामलात खातेदारी की होने का अनुमान किया जाता है।यदि अप्रार्थी ने प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की, बिना तकासमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:39:38 IST
Reason: SelfAttested

21.5.24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

कराये निर्माण किया तथा बोरिंग की तो अपूरणीय हानि व असुविधा व क्षति प्रार्थी को होना संभव है। अप्रार्थी को पाबन्द किये जाने से किसी तरह का नुकसाान होता हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होते है।अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित होने से स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 30.10.2023 को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.5.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:39:38 IST
Reason: SelfAttested